कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, जौनपुर।

पत्रांक /जि0कार्य0/बा0वि0परि0/लेखा/2013–14 दिनांक

विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1467–60–2–13–2/1(58)/12 लखनऊ दिनांक 27.08.2013 के कम में हाटँ कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत जनपद में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) से प्रस्ताव आंमन्त्रित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी हेतु निर्धारित धनराशि में ही गरम पका हुआ भोजन (मीनू के अनुसार) गॉवों/मुहल्ले (नगरीय क्षेत्र) में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक कार्य दिवस में उपलब्ध कराना होगा। हॉटकुक्ड वितरण की इकाई बाल विकास परियोजना होगी। जनपद की कुल 22 परियोजनाओ में 5321 ऑगनबाडी केन्द्र संचालित है।

प्रस्ताव जमा करने का प्रारुप रु0 500.00 (पाँच सौ) नगद जमा कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव का प्रारुप पर विस्तृत विवरण, पात्रता/चयन की शर्ते अंकित है। विज्ञप्ति की सूचना, प्रस्ताव का प्रारुप तथा बाल विकास परियोजना में संचालित केन्द्रों की संख्या जनपद जौनपुर की वेबसाईट www.jaunpur.nic.in में देख सकते है। वेबसाईट से भी प्रस्ताव का प्रारुप डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। प्रस्ताव के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी, जौनपुर के नाम रु0 500.00 (पाँच सौ) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 30-11-2013 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, चतुर्थ तल, विकास भवन जौनपुर से रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। कार्यालय से क्रय किये गये/वेबसाइट से डाउनलोड किये गये हस्ताक्षरित प्रारुप पर ही प्रस्ताव मान्य होगा। इससे भिन्न प्रारुप तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के प्रारुप पर अंकित नियम, पात्रता/चयन की शर्ते बाध्यकारी और इस विज्ञप्ति का अंग है।

संलग्न (1) प्रस्ताव प्रारुप पृष्ठ सं0 01 से 04 तक
(2) परियोजनावार केन्द्रों की संख्या सूची

(पवन कुमार यादव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास,
जौनपुर।

पृष्ठांकन पत्र सं0 C-1042 /तददिनांक 13-11-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, जौनपुर।
3– मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर
4– जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय से कि अधिकतम प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान व दर में प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। (अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान)
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जौनपुर।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास,
जौनपुर।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, जौनपुर।
हाटॅ कुक्ड योजना हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

⇨ स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) का नाम :

⇨ अर्नेस्ट मनी का विवरणः संख्या............................ दिनांक.................. धनराशि रु0 में (पृ0सं0.............)

⇨ वेबसाईट से प्रस्ताव डाउनलोड कर उपयोग करने की स्थिति में रु0 500.00 का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चेक संलग्न कर विवरण अंकित करें। संख्या............................ दिनांक.................. धनराशि रु0 में (पृ0सं0.............)

⇨ संस्था के मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय का पताः

⇨ पंजीकरण संख्या :................................. वैधता तिथि ....(पृ0सं0............)

⇨ कार्यक्षेत्र...वार्षिक टर्नओवर (रु0 में).............................

⇨ कार्य का अनुभवः बाल विकास विभाग / शिक्षा विभाग में................................ (पृ0सं0..........से ....तक)

⇨ कर्मचारियों की संख्या शैक्षिक योग्यता सहित.. (नाम व पदनाम की सूची पृ0सं0..........से ....तक)

⇨ जनपद में प्रशासनिक ढाचा व अवधि.. (नाम व पदनाम की सूची पृ0सं0..........से ....तक)

⇨ संस्था को प्राप्त कुल अनुदान / किसी अनरू माध्यम से प्राप्त की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण रु0 में..(शब्दों में)रु0 ....(साक्ष्य सहित विवरण पृ0सं0..................से ....तक)

⇨ समस्त संलग्नक सहित प्रस्ताव दिनांक . अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, चतुर्थ तल, विकास भवन जौनपुर में व्यक्तिगत रुप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। व्यक्तिगत रुप से प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति रसीद दी जायेगी। कार्यालय से क्रय किये गये / वेबसाइट से डाउनलोड किये गये हस्ताक्षरित प्रारुप पर ही प्रस्ताव मान्या होगा, इससे भिन्न प्रारुप तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के प्रारुप पर अंकित नियम, पात्रता / चयन की शर्ते बाध्यकारी और प्रकाशित विज्ञप्ति का अंग है।

पात्रता / चयन की शर्ते निम्नवत् हैः–

1– स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा राजनैतिक व धार्मिक प्रकृति की न हो। संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने तक वैध हो। संस्था की कार्यकारिणी व नियमावली का स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

2– केवल वही संस्था चयन हेतु पात्र होगी, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो में कम से कम एक वर्ष भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे मिड–डे–मिल या हाट कुक्ड योजना में कार्य करने का अनुभव हो। संस्था द्वारा जिस भी जनपद में मिड–डे–मील या हाट कुक्ड योजना में कार्य किया गया है, कार्यादेश की स्व प्रमाणित छाया प्रति व सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकरी / जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र मूल रुप में संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

3– संस्था की कार्यकारिणी द्वारा इस योजना में कार्य किए जाने हेतु सहमति का प्रस्ताव तथा संस्था के जिस प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव को हस्ताक्षरित कर सम्मिलित किया जायेगा। उसे संस्था की कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत किये जाने विषयक प्रमाण पत्र मूल रुप में संलग्न कराना अनिवार्य है। (पृ0सं0..............)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास
जौनपुर

4– संस्था किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के वित्तीय लाभ के लिए संचालित न हो रही हो तथा हाट कुक्ड फूड योजना के कार्य "न लाभ न हानि" सिद्धान्त के तहत कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हों। इस आशय का शपथ पत्र मूल रुप में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। (पृ0सं0..............)

5– संस्था कम से कम विगत तीन वर्षो से कार्यरत हो तथा उनका विगत 03 वर्षो का लेखा–जोखा पंजीकृत चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित (audited) होना चाहिए। अंकेक्षित बैलेंस शीट की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0.......... ....से ....तक)

6– संस्था को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा इनके किसी अभिकरण एवं सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (सी0एस0डब्ल्यू0वी0) या कापार्ट द्वारा काली सूची में न डाली गयी हो। इस आशय का शपथ पत्र रु0 100.00 के नान–जूडीसियल स्टैम्प पेपर पर देना अनिवार्य है। (पृ0सं0..............)

7– संस्था के पास पैन कार्ड हो तथा आयकर नियमावली की धारा 12ए के अन्तर्गत आवश्यक रुप से पंजीकृ हो। 12 ए पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से .... तक)

8– इस योजना में प्रत्येक माह संस्था द्वारा आवश्यक रुप से भारी मात्रा में गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री का कय किया जायेगा, इसलिए आवश्यक है कि संस्था वाणिज्य कर में पंजीकृत हो और उसे टिन सं0 आवंटित हो। टिन सं0 पंजीकरण तथा विगत तीन वर्षो में आयकर रिटर्न जमा किये जाने की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

9– ऑगनबाड़ी केन्द्र तक प्रतिदिन समय पर विभागीय दिशा–निर्देशों के कम में गरम पका भोजन पहुँचाये जाने हेतु संस्था के पास पर्याप्त संसाधन (इन्सुलेटेड वैन/मोटर वाहन आदि) चाहिए। वाहन उपलब्ध होने/कय किये जाने/बुकिंग का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

10– इस योजना में प्रति लाभार्थी भारत सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि व्यय की जाएगी अर्थात जनपद का एक माह का अनुमानित व्यय लगभग रु0 .... का होगा। अतः आवश्यक है कि संस्था आर्थिक व भौतिक रुप से समृद्ध हो तथा उसके पास पर्याप्त संशाधन हो, ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् तत्काल परियोजना क्षेत्रों में किचेन की स्थापना कर गरम भोजन की आपूर्ति प्रारम्भ कर सके। संस्था की वित्तीय व भौतिक स्थिति का आंकलन हेतु संस्था के बैंक खाते में प्रस्ताव जमा करने से पूर्व मार्जिन मनी के रुप में कम से कम रु0 60 लाख (रु0 साठ लाख) की धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। प्रस्ताव के साथ संस्था के बैंक खाते के अद्यतन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

11– संस्था के बैंक खाते में स्वयं की धनराशि/उनके द्वारा बैंक या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त धनराशि का विवरण, संस्था के नाम कार्यालय, भूमि, अन्य भौतिक संशाधन अर्थात सम्पति का साक्ष्य सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0.............. ....से ....तक)

12– आवंटित परियोजना में संस्था के पास सेण्ट्रल आटोमैटिक/सेमी आटोमैटिक किचन, जहॉ भोजन तैयार किया जाना है, उपलब्ध/प्रस्तावित होना चाहिए। संस्था को इस आशय का शपथ पत्र देना होना कि वह प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित अवधि के अन्दर परियोजना क्षेत्रों में किचन की स्थापना कर इन्सुलेटेड वैन द्वारा प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र तक गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध करा देगें और किसी भी परिस्थिति में रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति नहीं करेंगें। (पृ0सं0..........)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास
शाहजहाँपुर

13— संस्था के पास भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम मिड–डे–मिल, हाट कुक्ड में कार्य किए हुए प्रशिक्षित रसोईये होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

14— संस्था को योजना के संचालन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा लेखा बही, कैश बुक, स्टाक पंजिका आदि पृथक से रखने होगें तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु जनपद, निदेशालय तथा शासन के अधिकारियों एवं सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। इसलिए आवश्यक है कि संस्था द्वारा जनपद में अपनी शाखा कार्यालय स्थापित किया जाय और आवश्यक मात्रा में लिपिकीय/पर्यवेक्षक कार्मिक हों प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् संस्था द्वारा जनपद में भी एक शाखा कार्यालय खोलने व कार्मिकों को तैनात करने का शपथ पत्र मूल रुप में देना अनिवार्य है। (पृ0सं0.............)

15— संस्था को गरम भोजन पकाने, आपूर्ति एवं वितरण की प्रकिया, कार्य पद्वति, मानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग की कार्य योजना तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य है। (पृ0सं0..................से ....तक)

16— चयन समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव व अभिलेखों का परीक्षण कर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा। चयन में संस्था की वित्तीय व भौतिक स्थिति का विशेष रुप से संज्ञान लिया जायेगा। साक्षात्कार के समय संस्था के प्रतिनिधि को सभी मूल अभिलेखों, संस्था की सम्पत्ति के विवरण व साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर गरम पका हुआ भोजन की तैयारी और आपूर्ति का प्रदर्शन (डेमो) करना होगा तथा अपेक्षित मात्रा मं इन्सुलेटेड वैन/मोटर वाहन आदि का भी प्रदर्शन या इन्सुलेटेड वैन/मोटर वाहन बुकिंग/कय किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

17— प्रस्ताव के साथ जिला कार्यकम अधिकारी, जौनपुर के पक्ष में बंधक रु0 06 लाख (छः लाख मात्र) एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/बाण्ड अर्नेस्ट मनी के रुप में जमना करना अनिवार्य है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् संस्था द्वारा उक्त कार्य का फील्ड एप्रेजल प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब होने या फील्ड एप्रेजल में असफल रहने पर संस्था की अर्नेस्ट मनी जब्त कर प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा। फील्ड एप्रेजल सफल रहने पर नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा कराकर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

18— इस योजना में किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान संस्था को नहीं किया जायेगा, अपितु प्रति लाभार्थी हेतु निर्धारित धनराशि में ही (मीनू के अनुसार) प्रत्येक कार्य दिवस में गुणवत्तापरक गरम पका हुआ भोजन गॉव/मुहल्ले (नगरीय क्षेत्र) में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र पर संतोषजनक ढंग से आपूर्ति करने के पश्चात् एक माह का बिल प्राप्त होन पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कनवर्जन धनराशि या भाड़ा देय नहीं है। गरम भोजन वितरण की इकाई बाल विकास परियोजना होगी। परियोजनावार केन्द्रों का विवरण संलग्न है।

19— चयनित संस्थाओं के साथ समान्यतया 02 वर्ष के लिये जिला कार्यकम अधिकारी, जौनपुर द्वारा निर्धारित प्रारुप पर अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध के समय संस्था की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। संस्था का कार्य संतोषजनक/मानक के अनुरुप न पाये जाने, मीनू के अनुसार भोजन न उपलब्ध कराने पर शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार 10 प्रतिशत, भोजन में निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्य सामग्री प्रयुक्त न होने पर 50 प्रतिशत तक तथा भोजन उपलब्ध न कराने पर प्रतिदिन प्रतिकेन्द्र रु0 100 का अतिरिक्त दण्ड वसूला जायेगा, साथ ही साथ संस्था का अनुबन्ध भी समाप्त किया जा सकता है। ग्रीष्म काल में 10 से 11 बजे के मध्य तथा शीतकाल में 12 से 01 के मध्य ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक कार्यदिवस में

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास
जौनपुर

—4—